



Neutral Citation No-2026:AHC:7886

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4840 वर्ष 2025

रूपचंद याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: क्षमा सिंह, यशवंत सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. पक्षों के अधिवक्ता को सुना।
2. निम्नलिखित राहत के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है: -

"कुछ विशिष्ट समयावधि के भीतर ग्राम मेढ़ी, खरचलपुर, परगना और तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के संबंध में धारा 9ए(2) यू.पी.सी.एच अधिनियम के तहत मामला संख्या-2592/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या-20255415657012592 (शामू बनाम हौशीला और अन्य) पर निर्णय करने के लिए चकबंदी अधिकारी सदर-॥ आजमगढ़ (प्रतिपक्षी संख्या-2) को परमादेश आदेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत आपत्ति का निर्णय 27.10.2017 के आदेश द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ता ने बहाली आवेदन को प्राथमिकता दी है जिसे दिनांक 09.06.2025 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी; नतीजतन, यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत मूल कार्यवाही को उसकी मूल संख्या-पर बहाल कर दिया जाता है और तब से यह विचार लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।

5. उपरोक्त के रूप में इस विवेचना में, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लिखित है, प्रतिपक्षी संख्या-2 को उपरोक्त मामले को कानून के अनुसार सख्ती से तय करने के निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है, एक तर्कपूर्ण और आख्यापक आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को किसी भी अनावश्यक स्थगन को शीघ्रता से दिए बिना, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंततः निपटारा किया जाता है।

जनवरी 13, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)